

# प्रथम रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
को लागू करना  
(1.11.2005 से 31.10.2006)

राज्य सूचना आयोग,  
हरियाणा।

एस०सी०ओ० नं० 70-71, 114-115  
सेक्टर 8-सी,  
चण्डीगढ़ - 160 009

Website: [www.cicharyana.gov.in](http://www.cicharyana.gov.in)  
e-mail : [ussichry@yahoo.co.in](mailto:ussichry@yahoo.co.in)  
[madhawang@hry.nic.in](mailto:madhawang@hry.nic.in)

## विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	1—2
2	आयोग का संविधान और आज्ञापत्र	3—5
3	आयोग के वार्षिक लेखे	6
4	जन प्राधिकारियों के द्वारा सूचना - प्रत्यावेदनों का निपटान	7—9
5	आयोग के द्वारा शिकायतों और अपीलों का निपटान	10—11
6	नवम्बर, 2005 से अक्टूबर, 2006 तक सूचनाधिकार अधिनियम की कार्यवाही	12—14
7	सूचनाधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी देना - आयोग के उपक्रम	15—18
8	राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की सिफारिश, भाग-I, राज्य सरकार से सम्बद्ध सिफारिशें भाग-II, लोक प्राधिकारियों के लिए सिफारिशें	19—27
<b>अनुबन्ध</b>		
क	प्रपत्र	28
ख	लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना	29—47
ग	मुख्य लोक प्राधिकरणों की सूची जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई	48—51
घ	हिप्पा द्वारा आयोजित सूचना के अधिकार अधिनियम पर हुए कैंपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों/गोष्ठियों का ब्योरा	52
ङ	क्षेत्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु समीक्षा - जिला स्तर पर ली गई सभाएं	53
च	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई सभाओं/कार्यशालाओं का ब्योरा	54—55

## अध्याय — 1

### सूचना का अधिकार : नागरिक आंदोलन से व्यवस्थापन तक

“लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है।”

(प्रस्तावना, सूचनाधिकार, अधिनियम, 2005)

### परिचय

सूचना की स्वतंत्रता सार्वभौमिक तौर पर स्वीकृत अधिकार है और बहुत से लोकतांत्रिक समाजों ने इस अधिकार को उनकी अपनी कानूनी व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। इस अधिकार को दी गई महत्ता 1946 में प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपनाये गये निम्न प्रस्ताव से स्पष्ट है :-

“सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानवीय अधिकार और सभी स्वतंत्रताओं की कसौटी है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया है।”

भारत के संविधान के अध्याय-III की धारा 19 इसके सभी नागरिकों को, अन्य बातों के साथ ही, बोलने और विचार प्रकट करने के मौलिक अधिकार की गारंटी भी देती है। सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है जो कि संविधान की धारा 19 (1) (a) से निःसृत है। वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार नागरिकों के सूचना के अधिकार के पक्ष में निर्णय दिया है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रमुख उद्देश्य देश में प्रत्येक लोकप्राधिकारी की कारगुजारी में पारदर्शिता और जवाबदेयता को बढ़ावा देना है। यह अधिनियम लोकप्राधिकारियों के द्वारा उन के नियंत्रण में रखी गई सूचना पाने के लिए वैधानिक संस्थागत ढाँचे की आज्ञा देता है ताकि प्रत्येक नागरिक के सूचना के अधिकार को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। यह नागरिकों के लिए विशेष सूचना का खुलासा करने के लिए इंगित करता है और सभी लोकप्राधिकरणों में नागरिकों के अनुरोधों को निपटाने के लिए जनसूचना अधिकारियों को नियुक्त करता है।

यह लोक सूचना अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारियों को अपील के लिए अधिकृत करता है। यह केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के संविधान के तहत शिकायतों की जांच करने, पुनर्याचिकायें सुनने और अधिनियम को लागू करने में चौकसी बरतने का आदेश भी देता है।

## अध्याय — 2

### आयोग का संविधान और आज्ञापत्र

15 जून, 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम को भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया और 21 जून, 2005 को भारतवर्ष के राजकीय गजट में विज्ञापित कर दिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारतवर्ष समाहित है। यह संसद या राज्य विधान-परिषद् के एक अधिनियम द्वारा प्रस्थापित या गठित, अथवा संबंधित सरकार के आदेश या अधिसूचना से, सभी संवैधानिक प्राधिकरणों और निकायों पर लागू है। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकृत, नियंत्रित या वस्तुतः वित्त-प्राप्त निकायों पर भी लागू होता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने 31 अक्टूबर, 2005 को राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और निर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्य सूचना आयोग, हरियाणा का गठन किया और श्री जी० माधवन, भा० प्र० से० (सेवानिवृत्त) को राज्य सूचना आयोग, हरियाणा के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया। उन्होंने एक नवंबर, 2005 को शपथ ली और इसी दिन से राज्य सूचना आयोग अस्तित्व में आया। तत्पश्चात् दिनांक 5-5-2006 की अधिसूचना के द्वारा श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी, भा० प्र० से० (सेवानिवृत्त) को नवगठित राज्य सूचना आयोग, हरियाणा का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने 9 मई, 2006 को शपथ ग्रहण की।

अधिनियम की धारा-27 राज्य सरकार को राजकीय गजट में अधिसूचना जारी करने के उपरांत, अधिनियम के प्रावधानों को संचालित करने के लिए शक्तियां प्रदान करती है। ये नियम सूचना पाने के आवेदन का प्रारूप, प्रभावी शुल्क और प्रभारों तथा उनकी अदायगी के ढंग एवं अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में व्यवस्था करते हैं। शुरुआत में मूलतः शुल्क अदायगी की केवल दो विधियाँ, नामतः नकद या ट्रेजरी चालान से थीं। तथापि आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2006 के द्वारा फीस की अदायगी, “डिमाण्ड ड्राफ्ट”, या “भारतीय पोस्टल आर्डर” के माध्यम से करने की अनुमति भी दे दी है।

मार्च, 2006 को अनुपूरक अनुमानों के तौर पर आयोग को बजट उपलब्ध करवाया गया जिस पर मार्च, 2006 के अंतिम सप्ताह में विधानसभा द्वारा मतदान करवाया गया था। जैसा प्रायः नव गठित निकायों के लिए उचित कार्यालय तलाश करने, स्टाफ की भर्ती, बजट तैयार करने और ढांचागत साज-सज्जा में होता है, कुछ समय लगा। राज्य के लोक-निर्माण और वास्तुकला विभागों की सहायता से सेक्टर 8-सी, चण्डीगढ़ के किराये पर लिए गए शो-रूमों में कार्यालय स्थापित करने में दो-एक महीने लगे। इस प्रकार जून, 2006 के मध्य से एस० सी० ओ० नं० 70-71, सेक्टर 8-सी, चण्डीगढ़ में आयोग पूर्णतः कार्य करने लग गया।

आयोग का यह प्रयास रहा है कि सूचना के अधिकार की पद्धति, जैसी कि उक्त अधिनियम की प्रस्तावना में निहित है, पूरी तरह लागू हो जाए ताकि नागरिकों को जन-प्राधिकारियों के नियंत्रण में रखी सूचना पाने की पहुंच के योग्य बनाया जा सके और इस प्रकार प्रत्येक जन-प्राधिकारी की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके। आयोग ने स्वयं को भी पूर्णतः पहुंच योग्य बनाया है और शिकायतों तथा अपीलों को स्वीकार करने में बहुत उदारता दिखाई है। आयोग की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने और यह पक्का करने के लिए कि राज्य में आर० टी० आई० एक्ट, 2005 के क्रियान्वयन के बारे में नागरिकों को पूर्ण और सही सूचना मिलेगी, निम्न कदम उठाए गए हैं :-

1. नवंबर, 2006 से आयोग ने इसकी अपनी वेबसाइट "cicharyana.gov.in" चालू की है। इस वेबसाइट की मदद से नागरिक अपने मामलों की स्थिति, इस बारे में जारी किये गए अंतिम आदेशों सहित जान सकते हैं। सामान्यतः सुनवाई की समाप्ति पर आदेश घोषित कर दिये जाते हैं और औपचारिक रूप से अगले दो-तीन दिनों तक संबंधितों को भेज दिये जाते हैं। इसके साथ ही, वेबसाइट पर भी लोड कर दिये जाते हैं। नागरिक सुनवाई की तिथि, "बेंच" जिसके समक्ष सुनवाई होनी है, पार्टियों के नाम आदि बटन दबाकर जान सकते हैं।
2. वेबसाइट कमीशन के सदस्यों के बारे में "बायोडेटा" सूचना भी प्रदान करती है। इस पर समय-समय पर सरकार/आयोग द्वारा जारी किये गए परिपत्रों/निर्देशों, अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विभिन्न जन-प्राधिकरणों के राज्य सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण भी उपलब्ध होता है।
3. वेबसाइट पर आयोग के सदस्यों द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों और अन्य जन-वर्गों के साथ की गई बैठकों की सूचना प्रदान की गई है। इस पर जनसूचना अधिकार

अधिनियम, 2005 से सम्बद्ध विषयों पर आयोजित किए गए सम्मेलनों/कार्यशालाओं का संक्षिप्त विवरण भी अंकित मिलेगा।

4. आयोग ने इस वेबसाइट को देश के नागरिकों के लिए अधिक सूचनात्मक एवं लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधितों से परामर्श आमंत्रित किए हैं।

### अध्याय-3

#### आयोग के वार्षिक लेखे

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर, 2005 से की गई थी। राज्य सरकार ने लेखा-शीर्ष “2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं - गैर योजना” के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:-

वर्ष	प्रदत्त फण्ड
2005-2006	30.00 लाख
2006-2007	126.00 लाख

31 अक्टूबर, 2006 तक 62.76 लाख रुपये का खर्च किया गया था।

हालांकि आयोग 1 नवंबर, 2005 को अस्तित्व में आया था, तथापि बजट मार्च, 2006 के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध करवाया गया था। अनुपूरक अनुमानों के तौर पर 30.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया, जिस पर मार्च, 2006 के अंतिम सप्ताह में विधानसभा के द्वारा मतदान करवाया गया था। यद्यपि कार्यालय-सामान, जिसमें फर्नीचर और अन्य ढांचागत सामग्री जैसे:-दूरभाष, फैक्स मशीनें, छाया प्रति-यंत्र इत्यादि शामिल हैं, की खरीद पर पहले से ही कार्रवाई कर ली गई थी। राज्य सरकार द्वारा सेक्टर-8, चण्डीगढ़ में प्रदत्त भवन में कार्यालय-स्थापन की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी। यह इस प्रारम्भिक कार्य की वजह से ही सम्भव हुआ है कि आयोग 30.00 लाख रुपये की राशि में से जो कि वर्ष, 2005-06 के लिए स्वीकृत हुई थी, 26.79 लाख रुपये खर्च करने में समर्थ हो पाया। हालांकि अंतिम स्वीकृति मार्च, 2006 के आखिरी सप्ताह में प्राप्त की गई थी, वर्ष 2006-07 के लिए राज्य सरकार द्वारा 140.04 लाख रुपये के मूल बजट को संशोधित करके 126.00 लाख रुपये कर दिया गया। दिनांक 31-10-06 तक 62.76 लाख रुपये खर्च किये गये।



## अध्याय — 4

### जन प्राधिकारियों के द्वारा सूचना-प्रत्यावेदनों का निपटान

जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-25 आदेश देती है कि राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसकी एक प्रति सम्बद्ध सरकार को भेजेगा। वह रिपोर्ट सम्बद्ध सरकार के द्वारा राज्य विधान-परिषद् के समक्ष रखी जायेगी। प्रत्येक रिपोर्ट में हरेक जन-प्राधिकरण के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर सूचना समाहित होने की आशा की जाती है :-

- (i) प्राप्त आवेदनों की संख्या ।
- (ii) कारणों सहित अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या; यथा एक्ट के प्रावधानों की धारा 8 व 9 के अधीन।
- (iii) राज्य सूचना आयोग को पुनर्विचार तथा उनके निष्कर्ष हेतु भेजे गए प्रत्यावेदनों की संख्या व प्रकृति।
- (iv) इस अधिनियम से संबंधित प्रशासन के द्वारा किसी भी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण।
- (v) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जन-प्राधिकरण के द्वारा एकत्रित किए गए प्रभारों की राशि।
- (vi) जन-प्राधिकारियों के द्वारा इस अधिनियम की निहित भावना को कार्य रूप देने में किए गए प्रयासों की तथ्यात्मक रिपोर्ट।
- (vii) इस एक्ट के विकास, परिवर्धन, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए यदि कोई सिफारिश प्राप्त की गई है, या अन्य व्यवस्थापन या सार्वजनिक कानून या कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के क्रियान्वन से संबंधित हो।

मंत्रालयों और विभागों को सहयोग देने के विचार से विभिन्न जन-प्राधिकारियों से उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली वांछित सूचना एकत्रित करने के लिए एक प्रपत्र विकसित किया गया था। इस प्रपत्र की

एक प्रति अनुबंध "क" पर उपलब्ध है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, लोक-उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, आयुक्तों और उपायुक्तों को निर्धारित प्रपत्र में इस अधिनियम की धारा 25 (2) के अनुसार राज्य सूचना-आयोग को सूचना भेजने वाले पत्र लिखे गए थे। प्रारंभिक अनुक्रिया उत्साहजनक नहीं थी, इसे स्मरण-पत्रों के माध्यम से परिपुष्ट किया गया। जन-प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना को वर्णमाला के क्रम से विभागाध्यक्षों, बोर्डों-निगमों-लोक-उपक्रमों, प्रशासकीय सचिवों, आयुक्तों और उपायुक्तों के लिए अलग से सुनियोजित किया गया है। यह अनुबंध "ख" पर उपलब्ध है। प्रशासकीय सचिवों, प्रमुख विभागों और लोक-प्राधिकरणों की एक सूची, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया, अनुबंध "ग" पर रखी है।

लोक-प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार उनके द्वारा 1.11.2005 से 31.10.2006 तक कुल 4985 प्रार्थना-पत्र प्राप्त किए गए थे। सूचना प्राप्त करने के लिए किए गए 156 अनुरोध एक्ट की धारा-8 और केवल 30 केस धारा-9 के तहत निरस्त कर दिए गए। सूचना प्रदान करने के लिए कुल 6,26,071/- रुपये की राशि फीस/प्रभार के तौर पर एकत्रित की गई। निरस्त किए गए केसों की कुल प्रतिशतता 3.73 % आंकी गई है जिससे सिद्ध होता है कि जन सूचना प्राधिकारी अधिकाधिक मामलों में सूचना प्रदान कर रहे हैं।

इस अधिनियम के संवर्धित क्रियान्वयन के लिए कुछ लोक-प्राधिकारियों, मंत्रालयों और विभागों से निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए हैं :-

- (i) बहुत से आवेदक बहुत ही पुरानी और विस्तृत सूचना माँगते हैं जिसे तैयार करने में पर्याप्त समय लगता है। एक्ट के अधीन निर्दिष्ट 30 दिन की समयावधि ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। यह कालावधि बढ़ाकर 45 दिन कर देनी चाहिए।
- (ii) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के माध्यम से मांगी गई सूचना की मात्रा नियत करने की आवश्यकता है, जबकि बहुत से प्रार्थी एक ही प्रार्थना-पत्र के द्वारा बहुत सी और सघन सूचना पाने की चेष्टा करते हैं।
- (iii) जहाँ लोक प्राधिकारियों के यहाँ, प्रार्थना-पत्र बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं, वहाँ उनके निपटान के लिए पर्याप्त स्टाफ और फण्डों सहित अलग प्रभाग होना चाहिए।
- (iv) इस एक्ट के अधीन राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के तौर पर नियुक्त अधिकारियों की अतिरिक्त जिम्मेवारियों के दृष्टिगत, बहुत से अधिकारी इस कार्य को लेने के लिए सजग नहीं हैं। तथापि अधिनियम में चूक के लिए सख्त सजा

की व्यवस्था है। इसलिए, पदेन अधिकारियों को उचित मानदेय देने का प्रावधान करके यथायोग्य प्रतिफलित करना चाहिए।

(v) अधिनियम की धारा-20 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को कुछ शक्तियाँ दी जानी चाहिए ।

उपर्युक्त क्रमांक (i), (ii) और (v) पर दिए गए सुझावों के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है जो भारत सरकार के द्वारा किया जाना है।

सूचना प्रदान करने की अवधि 30 दिन से 45 दिन करना उचित नहीं लगता। उसी प्रकार सूचना की मात्रा या एक ही प्रार्थना-पत्र पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने संबंधी विषय को निश्चित करना उचित नहीं होगा क्योंकि इस तरह के कुछ ही मामले होते हैं। सुझावों के क्रमांक (iii) और (iv) पर कार्यवाही हरियाणा सरकार या संबंधित लोक-प्राधिकरण के द्वारा की जानी है। पर्याप्त स्टाफ और फंडों की कमी का मुद्दा आयोग के समक्ष सार्वजनिक सुनवाईयों के दौरान जन प्राधिकारियों, जिनमें विशेषतः हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शिक्षा विभाग इत्यादि हैं, के द्वारा उठाया जाता रहा है। राज्य जन-सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिम्मेवारियाँ निभाने के लिए, मानदेय प्रदान किया जाना भी न्यायोचित है। आयोग ने अलग से अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जन-प्राधिकरण को बजट का कुछ प्रतिशत इस हेतु रखने के लिए सिफारिश की है। उपरोक्त दोनों मुद्दों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

## अध्याय – 5

### आयोग के द्वारा शिकायतों और अपीलों का निपटान

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जो कि 1.11.2005 से 31.10.2006 तक है, आयोग में सूचनाधिकार अधिनियम की धारा 18 (2) के अधीन 116 शिकायतें और धारा 19 (3) के अधीन 80 अपीलें प्राप्त की थीं। इनमें से कमीशन ने 31.10.06 तक 98 शिकायतें और 64 अपीलें निपटा दी थीं, तथा संबंधित पार्टियों को शीघ्रता से निर्णय प्रेषित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 393 प्रार्थना-पत्र प्रार्थियों को उचित राय देकर निपटा दिए गए हैं। आयोग के पास दिनांक 1-11-2006 तक 34 मामले कार्यवाही-अधीन शेष थे जिनमें 18 शिकायतें और 16 अपीलें थीं।

आयोग ने शिकायतों/अपीलों में उठाए गए मुद्दों के लिए वादियों और प्रतिवादियों – दोनों को सुनवाई का अवसर दिया। इसके अतिरिक्त, सुनवाई के समय इन मामलों में निर्णय लेने से पूर्व सम्बद्ध रिकार्ड का परीक्षण भी किया गया था। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विलंब से सूचना देने के लिए एक केस में राज्य सूचना अधिकारी पर दण्ड किया गया। यह राज्य सूचना अधिकारी सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद था, जिस पर 3000/- रुपये जुर्माना किया गया। इस अवधि के दौरान किसी भी राज्य सूचनाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई।

सूचना आयोग को शिकायत करने के कारणों में से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार थे :-

- (i) सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना देने के लिए आवेदक से प्रार्थना-पत्र/फीस लेने से मना करना।
- (ii) सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन वर्णित समय-सीमा में सूचना या सूचना पाने के अनुरोध पर ध्यान न देना।
- (iii) सूचना के अनुरोधों पर अपूर्ण, दिग्भ्रमित करने वाले या बचकाने प्रत्युत्तर देना।

प्रार्थना-पत्र/प्रतिवेदन-फीस न लेने का प्रमुख कारण प्रारम्भिक स्तर पर, सहायक जन सूचनाधिकारियों की अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अज्ञानता थी। यद्यपि, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) के द्वारा राज्य जन सूचनाधिकारियों, सहायक जन सूचनाधिकारियों के लिए जिला-स्तर पर

प्रशिक्षण-कार्यक्रम आयोजित करने से मामलों में गति आनी शुरू हो गई और प्रार्थना-पत्र लेने से मना करने जैसे मामलों में विशेष रूप से कमी आई। आयोग ने इस संबंध में शिकायतें सुनने और प्रार्थी को आवश्यक सूचना प्रदान करने में उदारता बरती है।

आयोग ने अधिनियम के अधीन शिकायतों और अपीलों पर विचार करते तथा फैसला लेते समय निम्न पक्षों पर जोर दिया है :-

- (i) यद्यपि, एक्ट के अधीन आयोग के द्वारा शिकायतों और अपीलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा नहीं रखी गई, फिर भी आयोग ने कोशिश की है कि मामले दायर करने के 90 दिन की अवधि में निपट जाएं। कुल मिलाकर, आयोग ऐसा करने में सफल रहा है।
- (ii) सभी केस सामान्य सुनवाई के पश्चात् निपटाए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि मामले के सभी तथ्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता को आयोग के सामने अपना केस रखने का उचित अवसर मिलता है। राज्य सूचना अधिकारी को, सुनवाई के समय उपस्थित होने की वजह से, एक विशिष्ट तिथि तक सूचना प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रतिबद्ध होना पड़ता है।
- (iii) यह पक्का करने का हरेक प्रयास किया गया है कि यथा-संभव सूचना प्रार्थी को सुनवाई पर दे दी जाए। यदि किसी कारण-वश, ऐसा संभव नहीं है तो सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष समय-सीमा रखी जाती है। एक पुष्टिपूर्ण अनुपालना-रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और केस को औपचारिक रूप से तब तक बन्द नहीं किया जाता, जब तक प्रेषित सूचना से प्रार्थी और आयोग सन्तुष्ट न हो जाएँ।
- (iv) सार्वजनिक सुनवाईयों की कार्यवाहियाँ गैर-औपचारिक वातावरण में की जाती हैं ताकि प्रार्थी अपने केस को प्रस्तुत करने में स्वतंत्र अनुभव करे। निर्णय, आमतौर पर सुनवाई की समाप्ति पर घोषित कर दिया जाता है और पार्टियों को 3-4 दिन के अन्दर "कोरियर" के माध्यम से आदेश संप्रेषित कर दिए जाते हैं।

## अध्याय — 6

### नवम्बर, 2005 से अक्टूबर, 2006 तक सूचनाधिकार अधिनियम की कार्यवाही

आयोग ने सेवाधीन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा की गई अधिकाधिक शिकायतें/अपीलें सुनीं जो उनके सेवा/कैरियर संबंधी मामलों/निजी तकलीफों और सेवानिवृत्ति-लाभों के संबंध में थीं। अन्य नागरिकों के मामलों में अधिकतर आवेदन संपत्ति-मामलों, टैक्स, सिविल और आपराधिक निजी प्रकृति के विवादों से सम्बद्ध थे। जनसामान्य के हितों, नीति या विकासात्मक मुद्दों से जुड़ी सूचना मांगे जाने वाले प्रार्थना-पत्र थोड़े ही थे। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निर्णीत कुल शिकायतों और अपीलों में से सेवा और निजी मामलों में 46.93 % शिकायतें और 44.44 % अपीलें थीं। इस प्रकार, संपत्ति संबंधी शिकायतों और अपीलों की प्रतिशतता, आयोग में प्राप्त कुल केसों का, क्रमशः 27.55 % और 20.63 % बनती है। सार्वजनिक हित से जुड़ी शिकायतों/अपीलों की प्रतिशतता तुलनात्मक रूप में कम रही जो कि क्रमशः 15.30 % और 14.28 % बनी। प्रमुख रूप से जुड़े विभागों/लोक प्राधिकरणों में शिक्षा, रेवेन्यू, शहरी विकास, पुलिस, लोक-निर्माण, ऊर्जा तथा विकास एवं पंचायत थे। आशा की जाती है कि आने वाले समय में अधिनियम के बारे में अभिवर्धित जानकारी और इसके लाभों के ज्ञान के साथ केवल निजी सूचना माँगने वालों की संख्या के अतिरिक्त सार्वजनिक महत्व के मामलों की सूचना माँगने वालों की संख्या भी बढ़ेगी।

अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करते समय आयोग के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े निम्नलिखित मुद्दे और विषय सबसे आगे आए :-

#### (i) जानकारी का अभाव

सूचना माँगते समय "सूचना अधिकार अधिनियम" के प्रावधानों की जानकारी के विषय में अधिकाधिक प्रार्थियों को पिछड़ते हुए पाया गया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उनमें से बहुत से बिना संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी को लिखे ही, आयोग के पास सूचना लेने के लिए पहुँच गए थे। संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी के द्वारा मान्य मनाही (Deemed refusal) के मामलों में प्रार्थी संबद्ध विभागों/लोक प्राधिकरणों के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास जाने की बजाय सीधे ही आयोग में अपील करने पहुँच गए।

यह भी एक सच्चाई है कि बड़ी संख्या में प्रार्थी अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने की उचित प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं। वे बिना निर्दिष्ट फीस जमा करवाये अपने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हैं या गैर-निर्दिष्ट साधनों से फीस जमा करवाते हैं। आयोग के द्वारा ऐसे प्रार्थियों को, सूचना माँगने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय, उचित प्रक्रिया अपनाने की यथायोग्य सलाह दी गई है।

#### (ii) नियुक्त अधिकारियों की अधिसूचना में प्रारम्भिक विलंब

आयोग द्वारा शिकायतों/अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान पता चला कि कुछ जन-प्राधिकारियों ने अपने संगठनों में सहायक राज्य जन सूचनाधिकारी/राज्य जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, अधिसूचित ही नहीं किये थे। आयोग के द्वारा ऐसे जन-प्राधिकारियों को शीघ्र ये प्राधिकारी नियुक्त करने और उनके नाम जन सामान्य की सुविधा के लिए अपने कार्यालयों के समक्ष नोटिस बोर्डों पर भली प्रकार, प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

#### (iii) प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की उचित क्रियागति की कमी

ऐसा देखा गया था कि विभागों/संगठनों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे। वे या तो सहकारण आदेश जारी नहीं करते या अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर ही नहीं देते, जिसके फलस्वरूप लगभग सभी केसों में अपीलकर्ताओं को द्वितीय अपील के आधार पर राज्य सूचना आयोग में पहुँचना पड़ता है। कई बार, वे संबंधित राज्य सूचना अधिकारी को सामान्य तरीके से बिना उचित आदेश दिए या बुद्धि का प्रयोग किए बिना अपील भेज देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि उनके द्वारा अपीलों पर ध्यान से नहीं सुनी जाती हैं। अपीलों के निपटान का निष्कर्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रचुर अवसर प्रदान करने के अभिप्राय के विरुद्ध होता है। अधिकतर केसों में प्रार्थी शिकायत करते हैं कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा उन्हें खास बात कहने का अवसर नहीं दिया गया। यह आवश्यक है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपनी जिम्मेदारियाँ उचित बुद्धि के प्रयोग से निभायें और कारण देते हुए आदेश जारी करें, अन्यथा, अपीलकर्ता को घर की तरह सुनवाई देने का मूल उद्देश्य विफल हो जायेगा।

#### (iv) छूट दी जाने वाली श्रेणियों के विषय में अपर्याप्त प्रशिक्षण

अधिनियम धारा 8 और 9 के अन्तर्गत विशेष श्रेणियों को सूचना के पटाक्षेप (disclosure) से छूट देता है। उदाहारणार्थ, इन श्रेणियों में राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचना, कूटनीतिक,

वैज्ञानिक या राज्य के आर्थिक हितों, अपराधों का पता लगाना या जाँच करना, लोक-आदेश, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध बनाना और मंत्रि-परिषद् के पत्र, व्यापार या वाणिज्यिक रहस्य शामिल हैं। उस सूचना को पाने, जिसका प्रकटन, संसद या राज्य-विधान-परिषद के विशेषाधिकार को भंग करे, और व्यक्तिगत सूचना, जो लोक गतिविधि से कोई संबंध न रखती हो और किसी व्यक्ति की गोपनीयता को अकारण भंग करे — की भी मनाही है। यद्यपि, प्रदत्त छूट निरापद (absolute) नहीं है और सूचना का रोकना सार्वजनिक हित में सन्तुलनकारी होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि प्रार्थियों के सूचना के अनुरोधों को निरस्त (reject) करते समय जन-प्राधिकारियों के द्वारा एक्ट के प्रभागों के प्रावधानों की ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं की जाती है। इस प्रकार, सूचनाधिकार अधिनियम को लागू करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।



## अध्याय - 7

### सूचनाधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी देना — आयोग के उपक्रम

विभिन्न लोकप्राधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों और उनके मुद्दों से संबंधित हैं। जन प्राधिकारियों द्वारा सर्वाधिक प्रार्थना-पत्र शहरी विकास विभाग, श्रम एवं रोजगार, आबकारी एवं कराधान, नगर एवं ग्राम आयोजन, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, परिवहन, उद्योग और विश्वविद्यालयों से प्राप्त किए गए हैं। इनसे पीछे आबकारी, स्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, ऊर्जा उपयोग, सहकारिता, खाद्य एवं आपूर्ति, सिंचाई, पुलिस और जन स्वास्थ्य रहे। यह साफ संकेत करता है कि इस अधिनियम की कारगुजारी में शहरी पलड़ा भारी है। इसके प्रमुख कारण शहरी क्षेत्रों में अधिक जागरूकता, इलेक्ट्रानिक और प्रेस माध्यम तथा साथ ही नागरिक समूहों और कल्याण संगठनों एवं सूचना प्राप्त करने वाले शहरी क्षेत्रों के वासियों को अधिकाधिक सहायता की उपलब्धि हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के स्तर बहुत ही क्षीण हैं और परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों से सूचना मँगाने वालों की संख्या भी तुलनात्मक रूप में कम है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस अधिनियम ने अपनी प्रेरणा राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों से शुरू किए गए एक आन्दोलन के कारण ली, वह ग्रामीण क्षेत्रों के वासियों को मूल प्रावधानों की जानकारी के अभाव के कारण उनके अधिनियम के अधीन अधिकारों के बारे में आकर्षित नहीं कर पा रहा है। हालाँकि, सूचनाधिकार अधिनियम यह जिम्मेवारी स्पष्टतः राज्य सरकार पर डालता है लेकिन राज्य सरकार से यह आशा करना कि वही इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निभायेगी, ठीक नहीं होगा। तथापि, गैर सरकारी इकाइयों नागरिक कल्याण समूहों, एवं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी सूचनाधिकार अधिनियम के तहत जनता को शिक्षित और तैयार करने के लिए प्रयास करने होंगे आयोग ने इस उद्देश्य के लिए अलग से कुछ बजट प्रावधान करने की राय दी है। आयोग को भी इस संबंध में एक आवश्यक भूमिका निभानी है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग के द्वारा जिलों के साथ-साथ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में अधिक जानकारी पैदा करने के लिए निम्न कदम उठाये गए हैं :-

1. हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुड़गाँव को मुख्य सचिव, हरियाणा के माध्यम से राज्य जन सूचना अधिकारियों, सहायक राज्य जन सूचना अधिकारियों और जिला मुखियाओं के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अनुरोध किया गया था ताकि

अधिनियम की उन मूलभूत पद्धतियों और प्रक्रियाओं के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके जिनके अनुसरण की अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का निपटान करते समय उनसे आशा की जाती है। ये कार्यक्रम “हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान” के द्वारा मई, 2006 से अक्टूबर, 2006 तक जिला-स्तर पर आयोजित किए गए थे। इनका जिलावार विवरण अनुबंध - “घ”, पर उपलब्ध है।

2. इस अवधि के दौरान आयोग के सदस्य राज्य जन-सूचना अधिकारियों, सहायक राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ अधिनियम के महत्व पर बैठक करने गए और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में व्युत्पन्न संदेहों तथा भ्रांतियों को दूर किया। इन चर्चाओं को अधिक अर्थपूर्ण और ग्राह्य बनाने के लिए, जिलाधिकारियों के अतिरिक्त पंचायतों के तीन श्रेणीय प्रतिनिधियों नगरपालिका निकायों, गैर-सरकारी संगठनों एवं मीडिया के नुमाइंदों को भी चर्चाओं में शामिल किया गया था। ये मुलाकातें मीडिया में काफी रूचि पैदा करने के अतिरिक्त अधिकारियों और जन सामान्य को उत्तम जानकारी देने के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुईं। इस अवधि में विभिन्न जिलों में की गई बैठकों का विवरण अनुबंध “ड” पर दिया गया है।
3. इस अवधि के दौरान सूचनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों और राज्य में इसके क्रियान्वयन पर सम्मेलन तथा कार्यशालायें आयोजित की गई थीं जिन में समाज के विभिन्न वर्गों ने विचारविमर्श में भाग लिया। यह अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। इस विषय पर आयोजित सम्मेलनों/कार्यशालाओं का विवरण अनुबंध “च” पर उपलब्ध है।
4. आयोग के द्वारा सार्वजनिक सुनवाईयों के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिकारियों और प्रार्थियों को भी अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों के बारे में शिक्षित करते हुए चूकों को भविष्य में न दुहराने के लिए आगाह किया गया। आवश्यक विचारों को आदेश के हिस्से के तौर पर रिकार्ड करके पदेन अधिकारियों को भेज दिया गया है। अधिनियम के विशेष प्रावधानों का निश्चित समयावधि में अनुपालन करने के बारे में विशिष्ट निर्देश भी दे दिए गए हैं; और आयोग द्वारा मामलों को औपचारिक रूप से बन्द करने से पूर्व अनुपालना रिपोर्ट भी ली गई है। उन मामलों में, जहाँ प्रक्रियात्मक चूक गम्भीर प्रकृति

की हैं, आदेश की एक प्रति लोक-प्राधिकरण के प्रमुख को भी भेज दी गई है और आदेश दिए गए हैं कि वह क्षेत्रीय प्राधिकारियों को इस बारे में औपचारिक कदम उठाने बारे निर्देश दे तथा अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजे। इससे अन्य लोक प्राधिकारियों के द्वारा भी इन प्रावधानों के क्रियान्वयन का प्रभाव पक्का हुआ है।

केन्द्र और राज्य स्तर पर अधिनियम को लागू करने में आने वाली दिक्कतों में एक विशेष दिक्कत विलंब से सूचना प्रदान करने वाले जनसूचना अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक प्रावधानों के अपर्याप्त प्रयोग की है। यह मानना असत्य होगा कि “आयोग” देरी के मामलों में नर्म रवैया रख रहे हैं और अधिनियम के तहत निर्दिष्ट शास्तियाँ (Penalties) लगाने में अरुचि रखते हैं। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि सूचनाधिकार अधिनियम एक नवीन शासन व्यवस्था है जो लोक-प्राधिकारियों की सामान्य सोच में मूलभूत बदलाव लाने की कोशिश कर रही है और एक रात में जादूई प्रभाव की आशा करना व्यावहारिक नहीं होगा। जन सूचना अधिकारियों तथा लोक-प्राधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों तथा जिम्मेवारियों को भली प्रकार समझ कर प्रार्थना-पत्रों को निपटाना होगा। गहन प्रशिक्षण-कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारियों को भी अधिनियम के बहुत से प्रावधानों का ज्ञान नहीं है जिसके कारण विलंब हो रहा है। आयोग ने राज्य सरकार को इस रिपोर्ट के अंग के रूप में भेजी अपनी सिफारिश में इस पक्ष पर जोर दिया है। इसलिए, शुरु से ही दण्डनीय कार्रवाइयाँ करने और दण्ड लगाने से कोई लाभदायक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। नागरिकों को भी सूचना पाने के लिए प्रार्थना-पत्र देने और इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, लोक प्राधिकारियों और नागरिकों — दोनों के लिए, आवेदन करने की व्यवस्था को समझना और सूचना पाने में धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। आयोग ने इस समयावधि के दौरान जन सूचना अधिकारियों को दण्डित करने की बजाय नागरिकों को सही, पूर्ण और समय पर सूचना उपलब्ध करवाने पर अधिक जोर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह चलन भविष्य में जारी रहेगा। विलंब के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं और मामले का प्रस्तुत उत्तर को लेकर विस्तार में परीक्षण किया जाता है। मामले को लोक प्राधिकारियों/राज्य जन सूचना अधिकारियों से लिखित आश्वासन प्राप्त होने के बाद ही कि ये खामियाँ भविष्य में उत्पन्न नहीं होंगी, बंद किया जाता है।

इस एक्ट के तहत एक अन्य रोचक बात यह है कि राज्य सूचना आयोग, जो कि सूचना प्रदान करने के मामले में अंतिम अथॉरिटी है, वादियों/नागरिकों की कष्ट – निवारण अथारिटी भी मानी जाने लगी है। आयोग की कार्यवाहियों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् सूचना मांगने वाला अपने उस कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश पाने के लिए लालायित रहता है जिसके लिए उसे सबसे पहले सूचना पाने के लिए चलना पड़ा। आयोग ने सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों/शिकायतकर्ताओं को यह समझाने में काफी कष्ट उठाया कि वे प्राप्त सूचना के संबंध में उत्पन्न समस्या का समाधान उसी वैधानिक निकाय से करवायें, जिससे वह संबंधित है, जबकि अधिनियम के अधीन आयोग की यह भूमिका नहीं है। अधिकतर केसों में नागरिक इसे समझने में कठिनाई महसूस करते हैं और कार्यवाहियों के अन्तिम निर्णय से असन्तुष्ट रहते हैं, जबकि उनके द्वारा माँगी गई आवश्यक सूचना भी उन्हें दे दी जाती है। यद्यपि, यह देखा गया है कि आयोग के हस्तक्षेप ने सूचना भिजवाने को पक्का करने के लिए लोक-प्राधिकारियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है जबकि नागरिकों की परेशानी के विषय में वे अन्तिम निर्णय लेते हैं। बहुत से मामलों में नागरिकों को आयोग की कार्यवाहियों के पूर्ण होने से पहले ही वांछित राहत दे दी गई।

## अध्याय — 8

### राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की सिफारिश

#### भाग — 1

#### राज्य सरकार से सम्बद्ध सिफारिशें

##### 8.1 एक्ट के बारे में जागृति की उत्पत्ति — राज्य सरकार का कर्तव्य

अब तक का यह अनुभव रहा है कि शहरी क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारी, लोक-कर्मचारी और शहरी लोग ही अधिनियम के तहत प्रमुख लाभार्थी रहे हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के बारे में सीमित जानकारी है। सूचनाधिकार अधिनियम की धारा-26 के अनुसार जागृति उत्पन्न करने का कर्तव्य राज्य सरकार का दर्शाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के वासियों में आवश्यक जन-जागृति उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट बजट-व्यवस्था करके सरकार के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम बनाया और आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि समाज के सभी वर्ग अधिनियम के प्रावधान का लाभ ले सकें और सरकार अधिनियम की धारा-26 के अन्तर्गत अपना कर्तव्य निर्वहण कर सके।

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष बजट से निम्न तथ्यों पर ध्यान देते हुए यह कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए :-

- (i) जनता में जागृति लाने के लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण-कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए तथा जन सामान्य विशेषकर हानि-युक्त जातियों के ज्ञान में एक्ट के संबंध में जानकारी बढ़ानी चाहिए ताकि इस अधिनियम के अधीन दिए अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उन्हें समर्थ बनाया जा सके।
- (ii) उपर्युक्त क्रमांक (i) में अंकित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, आयोजित करने और स्वयं की भागीदारी के लिए लोक-प्राधिकारियों को निर्देश दिए जाएँ।
- (iii) लोक-प्राधिकारियों द्वारा उनकी अपनी गतिविधियों की सही जानकारी समयबद्ध और प्रभावी तरीके से देने में वृद्धि हो।
- (iv) प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों सहित राज्य जन सूचना अधिकारियों और सहायक राज्य जन सूचना अधिकारियों के लिए सघन प्रशिक्षण आयोजित करना।

(v) लोक प्राधिकारियों के प्रयोग के लिए, विशेषतः अधिनियम की धारा 8 व 9 के सम्बंध में, उचित प्रशिक्षण-सामग्री का निर्माण।

## 8.2 एक प्रयोगकर्ता संदर्शिका का प्रकाशन

सरकार का कर्तव्य है कि नागरिकों की सहायता के लिए अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट किसी भी अधिकार के प्रयोग हेतु, अपनी राजभाषा में एक संदर्शिका का निर्माण करे। इसकी पुरजोर सिफारिश की जाती है कि एक आसानी से समझ आने वाली सरल संदर्शिका तैयार करवाई जाए और सभी लोक-प्राधिकारियों के यहाँ प्रार्थियों को उपलब्ध करवाई जाए।

## 8.3 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों/राज्य जन सूचना अधिकारियों/सहायक राज्य जनसूचना अधिकारियों की “डायरेक्टरी”

आयोग सरकार को हरेक लोक-प्राधिकरण के राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की एक पूर्ण सूची प्रकाशित करने के लिए लिख रहा है परन्तु यह कार्य अभी किया जाना शेष है। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की डायरेक्टरी के मुद्रण की प्रक्रिया में शीघ्रता लाई जाए। यह उचित मूल्याधारित दस्तावेज होना चाहिए जो अनुरोध करने पर उपलब्ध करवाया जा सके। उसी प्रकार से, जिलाधीशों को जिला स्तर पर यह सूची प्रकाशित करने के लिए कहा जाना चाहिए।

## 8.4 लोक प्राधिकारियों से अधिनियम की धारा-4 के प्रावधानों की अनुपालना के बारे में निर्देश करना

लोक-प्राधिकारियों के द्वारा इस धारा के प्रावधानों की अनुपालना बहुत क्षीण रही हैं। आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को कई बार लिखा है परन्तु वास्तव में कोई गति दिखाई नहीं दी है। इस प्रावधान का महत्व, जिसके अनुसार प्रत्येक लोक-प्राधिकारी के द्वारा अधिकाधिक सूचना जनता के समक्ष रखी जानी है, पर कभी जोर नहीं दिया गया। प्रत्येक प्रशासनिक विभाग को इसके नियंत्रणाधीन लोक-प्राधिकारियों से इस धारा की अनुपालना करवाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना होगा और यह कार्यवाही 31 दिसम्बर, 2007 तक पूरी करेंगे। वित्त विभाग यह आश्वासन करेगा कि प्रत्येक लोक-प्राधिकारी के लिए इस उद्देश्यार्थ बजट की न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित की गई है ताकि अभिलेखों

को कम्प्यूटराइज करवाने की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जा सके। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए अभिलेखों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटराइजेशन हेतु भारत सरकार की कुछ उपलब्ध स्कीमों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

#### 8.5 प्रार्थना-पत्रों के आसान प्रस्तुतीकरण और फीस की अदायगी के लिए नियमों में संशोधन

##### (क) कोर्ट-फीस की स्टैम्पों के माध्यम से अदायगी

अक्तूबर, 2005 में राज्य सरकार द्वारा सूचनाधिकार अधिनियम-नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषणानुसार शुल्क की अदायगी नकद या ट्रेजरी-चालान के माध्यम से की जा सकती थी। शुरुआत में नकदी स्वीकार करने में कुछ मुश्किलें आ रही थीं क्योंकि बहुत से लोक प्राधिकारियों के पास नकदी प्राप्त करने की ऐसी व्यवस्था नहीं थी और न ही लोगों को उचित “प्राप्ति-शीर्ष” के बारे में सलाह दे सके जिसमें कि फीस जमा की जा सकती थी। आयोग के द्वारा इस उद्देश्य के लिए, पूरे राज्य के लिए एक सौझे “प्राप्ति-शीर्ष” की सलाह दी गई जो सरकार को पसंद नहीं आयी। यद्यपि, आखिरकार आयोग का “डिमाण्ड ड्राफ्ट” और “भारतीय पोस्टल आर्डरों” के माध्यम से अदायगियाँ स्वीकार करने का मशविरा सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 25.7.2006 को इस बारे में एक अधिसूचना जारी कर दी गई। कोर्ट-फीस स्टैम्प लगा कर फीस-अदायगी भी अधिनियम के तहत फीस जमा करने के माध्यम के तौर पर विचारी जा सकेगी। इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा नियमों में उचित संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है।

##### (ख) “ई-दिशा” जिला-मुख्यालय विज्ञापित करना

सूचना प्राप्त करने वाले नागरिकों को राहत पहुँचाने के विचार से, आयोग सिफारिश करता है कि जिलों में संचालित “ई-दिशा” केन्द्रों का प्रयोग सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए अलग से एक काउण्टर रखा जाना चाहिए और एक सहायक जन सूचना अधिकारी की ड्यूटी प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने के लिए लगाई जानी चाहिए। उन प्रार्थना-पत्रों को तीन दिन के अन्दर लोक-प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाए। यह तरीका जन-सामान्य को सुविधा देने के अतिरिक्त शिकायतों को अस्वीकार करने और कुछ लोक-प्राधिकारियों के संबंध में उदासीनता बरतने की शिकायत भी दूर कर देगा।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए डाक-घरों को सहायक जन सूचना अधिकारियों के तौर पर पदासीन करना।

केन्द्रीय सरकार ने कुछ डाकघरों को बतौर सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया है जो एक्ट के अधीन आने वाले केन्द्रीय लोक-प्राधिकारियों के संबंध में सूचना के अधिकार के बारे में प्रार्थना-पत्र प्राप्त करते हैं। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर स्थित हैं और फीस की अदायगी भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से एक स्वीकार्य विधि है, यह सुझाव दिया जाता है कि जिला और उपमण्डल स्तर पर कुछ डाकघरों को बतौर सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए जो राज्य के लोक-प्राधिकारियों के संबंध में सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर सकें। डाकघर इन प्रार्थना-पत्रों को फीस सहित अग्रेषित कर सकते हैं और प्रार्थी से अलग से डाक-फीस चार्ज कर सकते हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि यह मामला हरियाणा के पोस्ट मास्टर जनरल के साथ एक उचित स्तर पर विचारा जा सकता है और तत्पश्चात् नियमों में आवश्यक प्रावधान किए जा सकते हैं।

(घ) प्रार्थना-पत्र देने के तरीके के तौर पर ई-मेल की अनुमति देना

अधिनियम ई-मेल के माध्यम से सूचना मांगने की अनुमति देता है परन्तु ऐसे केसों में फीस जमा करवाने का कोई तरीका निर्दिष्ट नहीं किया गया है। नियमों में एक प्रावधान किया जाना चाहिए कि संबंधित जन-सूचना अधिकारी प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए एक पखवाड़े में निर्दिष्ट माध्यमों में से किसी एक के द्वारा प्रार्थी को वांछित फीस भेजने के लिए लिखे।

8.6 लोक-प्राधिकारियों के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करना

आयोग के समक्ष सुनवाईयों के समय एवं जिलों में आयोजित अनुक्रिया-सत्रों के दौरान जन सूचना अधिकारियों के द्वारा एक आम तकलीफ प्रायः उठाई जाती रही है। यह बताया गया है कि जब फीस और दस्तावेजों के चार्जिज सरकारी विभाग/लोक-प्राधिकारियों के “प्राप्ति-शीर्ष” के अन्तर्गत जमा करवाये जाते हैं, दस्तावेजों के फोटोकापी करवाने के लिए प्रभार आकस्मिक बजट से पूरा करना पड़ता है जो कि विभागों पर भारी दबाव डालता है। कुछ मामलों में, जहाँ भारी संख्या में दस्तावेज फोटोस्टैट करवाने पड़ते हैं, विशेषकर बाहर से, क्योंकि सभी लोक-प्राधिकारियों के पास फोटोकॉपियर नहीं होते तो खर्च बड़े हो जाते हैं और वे “आकस्मिक खर्च” शीर्ष के तहत प्रदत्त अपर्याप्त बजट से पूरे नहीं हो सकते। यह एक जायज समस्या है जिसका समाधान सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। इस समस्या के निवारण का एक तरीका एक प्रावधान करके किया जा सकता है, जिसके तहत एक



प्राधिकारी के द्वारा एकत्रित फीस/प्रभारों की न्यायसंगत प्रतिशतता, सूचना प्रदान करने की लागत की भरपाई करने के लिए, उसके स्तर पर रख दी जाए, या आकस्मिक शीर्ष के तहत प्रावधान करके RTI एक्ट के तहत प्रार्थना-पत्रों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए संबंधित लोक-प्राधिकारी के द्वारा उचित प्रकार से बढ़ा दिया जाया करे। इस उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया बजट जन सूचना प्राधिकारियों के द्वारा फोटोकॉपियर मशीनें खरीदने के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा।

#### 8.7 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और राज्य जन सूचनाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम

राज्य जन सूचनाधिकारी वह धुरी हैं जिसके इर्द-गिर्द पूरा अधिनियम घूमता है। इसलिए, जब तक राज्य जन सूचना अधिकारी को एक्ट के बारे में उचित प्रकार से प्रशिक्षण और सशक्त नहीं किया जाता, तब तक अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया है कि इन अधिकारियों को एक्ट के प्रारंभिक प्रावधानों और प्रविधियों का भी ज्ञान नहीं है जिनका अनुपालन सूचना मांगे जाने वाले प्रार्थना-पत्रों के बारे में किया जाना चाहिए। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ने जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था परन्तु यह पर्याप्त नहीं रहा। सरकारी विभागों के कुछ बड़े लोक-प्राधिकरणों जो जन सामान्य से अधिकाधिक अन्तःक्रिया रखते हैं, जैसे कि हुड्डा, नगरपालिकायें, सिंचाई, ऊर्जा-उपयोग और शिक्षा-को अपने अधिकारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आयोग ऐसे कदम की पुरजोर सिफारिश करता है ताकि यह अधिनियम राज्य में तत्परता से लागू हो सके।

#### 8.8 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/राज्य जन सूचना अधिकारी/सहायक राज्य जनसूचना अधिकारी को सहयोग देना

##### (क) पर्याप्त अतिरिक्त स्टाफ का प्रावधान

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्रों के निपटान के लिये स्टाफ की कमी आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान लोक-प्राधिकारियों के द्वारा उठाई जाती रही है जिनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। यह अधिकतर केसों में सूचना प्रदान करने में होने वाले विलंब के एक कारण के रूप में अंकित किया गया है। आयोग ने महसूस किया है कि यह एक जायज परेशानी है जिसका समाधान लोक-प्राधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिये। रिकार्ड के कम्प्यूटरीकृत करने की प्रक्रिया के लिये भी कुछ सहयोगी स्टाफ की आवश्यकता, अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए पड़ेगी, जिसमें समय के साथ बढ़ती करनी

अनिवार्य है। आयोग ने पहले ही वित्त विभाग को प्रत्येक लोक-प्राधिकारी के बजट का न्यूनतम प्रतिशत अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिये रखने की सिफारिश की है। यह भी सिफारिश की है कि बजट का कुछ हिस्सा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और राज्य जन सूचना अधिकारियों को अधिनियम के उपयुक्त क्रियान्वयन के लिये अतिरिक्त स्टाफ प्रदान करने हेतु प्रयोग कर लिया जाये। स्वीकृत किए जाने वाले स्टाफ के बारे में निर्णय, अधिनियम के तहत कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, लोक-प्राधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

#### (ख) मानदेय का प्रावधान

अधिनियम के अन्तर्गत रखी गई जिम्मेवारियों और निश्चित समयावधि में अनुपालना न करने के लिए सख्त शास्तियों के मध्यनजर, इन अधिकारियों को अपने सामान्य काम-काज के अतिरिक्त अधिक कार्य करना पड़ता है। अधिकारी प्रायः इन कार्यों के निर्वहण में रुचि नहीं रखते और यह सच्चाई समय-समय पर सुनवाईयों एवं वैचारिक आदान-प्रदान-सत्रों के दौरान आयोग के नोटिस में लाई गई है। इसलिए आयोग प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, राज्य जन सूचना अधिकारियों और सहायक राज्य जनसूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिम्मेवारियाँ निभाने के लिए उचित मानदेय प्रदान करने की सिफारिश करता है।

### भाग - दो

#### लोक-प्राधिकारियों के लिए सिफारिशें

सूचना के अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित कुछ क्षेत्र हैं जिनकी ओर लोक-प्राधिकारियों द्वारा तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है :-

#### 8.9 लोक-प्राधिकारियों के द्वारा सार्वभौमिक यथावत सूचना का पटाक्षेप

अधिनियम की धारा-4(1) (बी) निर्दिष्ट करती है कि सभी लोक-प्राधिकारियों को अधिनियम के लागू होने के 120 दिन की समयावधि में अपने संगठन से संबंधित मामलों का यथावत खुलासा करना चाहिए। इसमें विभिन्न 16 शीर्षों के तहत संगठनों (विभागों) के बारे में सूचना सम्मिलित है जिसे प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता है और समयावधि अनुसार यथातिथि किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 (2) निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक लोक-प्राधिकारी यथासंभव अधिकाधिक सूचना जनता को यथावत, प्रदान करने के लिए इन्टरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के द्वारा कदम उठायेगा ताकि जनता

को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े। इस धारा का ध्यानपूर्वक पढ़ना स्पष्ट करता है कि यह अधिनियम के सर्वाधिक आवश्यक और मौलिक प्रावधानों में से एक है और इस अधिनियम के केन्द्र बिन्दु को इंगित करता है। इस धारा का सही और विश्वसनीय क्रियान्वयन कुछ समय बाद सिद्ध करेगा कि अधिकाधिक सूचना लोक-क्षेत्र में निहित है और वहाँ नागरिकों को सूचना पाने के लिए अधिनियम का सहारा कम से कम लेना पड़ेगा। हरेक लोक-प्राधिकरण ने 12-10-2005 से यह सूचना उपलब्ध करवानी थी परन्तु अभी तक बहुत कम लोक-प्राधिकारियों ने यह कोशिश की है। एक बार व्यवस्था हो जाए, यह एक्ट के क्रियान्वयन को लोक-प्राधिकारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा आसान बना देगा। उन्हें तरीके निकालने और उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग, अधिनियम के तहत अधिकाधिक खुलासा पक्का करने के लिए, करना है। इसलिए, आयोग निम्नलिखित संस्तुतियाँ करता है :—

अधिनियम की धारा-4 के संतोषजनक अनुपालन के लिए सभी लोक-प्राधिकारियों को उसी तरीके के पुनर्निरीक्षण की जरूरत है जिसे अपनाकर संगठन (विभाग) में निर्णय-प्रक्रिया चलती है। इसके साथ ही उनके पर्यवेक्षण के माध्यम और अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (iii) के अन्तर्गत अधिकाधिक सूचना के प्रकटन की पुष्टि में जवाबदेही के ढंग को जाँचने की भी आवश्यकता है। इस धारा की अनुपालना की पुष्टि करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए चूंकि इसमें पहले ही देरी हो चुकी है।

#### 8.10 लोक-प्राधिकरणों में अभिलेखों का प्रभावी प्रबंधन

यह देखा गया है कि अधिकतर लोक-प्राधिकारियों के कार्यालयों में रिकार्ड के रख-रखाव का स्तर बहुत ही खस्ता हाल है। बहुत से सूचना माँगने के मामलों में यह बहाना बना कर सूचना देने से मना कर दिया जाता है कि रिकार्ड अनुपलब्ध है या खो गया है। राज्य-स्तर पर रिकार्ड के रख-रखाव के तौर-तरीकों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि यह अधिनियम की धारा-4 (1) (क) के प्रावधान के अनुरूप हो सके। प्रत्येक लोक-प्राधिकरण को अपने बजट का कुछ प्रतिशत धारा-4 के प्रावधानों के क्रियान्वयन, विशेषकर रिकार्डों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए रखना चाहिए। उप-धारा-4 (1) (ग) और (घ) की रचना शासन में सार्वजनिक भागीदारी के लिए की गई है और, इसलिए लोक-प्राधिकारियों को पुष्टि करनी चाहिए कि ये प्रावधान प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता और खुलापन लाने के लिए क्रियान्वित हो गए हैं।

#### 8.11 मंत्रालयों और विभागों के तहत लोक-प्राधिकरणों की सूची तैयार करना

हरियाणा सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पूरित और नियंत्रित कुछ प्राधिकरण तथा संगठन दावा कर रहे हैं कि वे अधिनियम के अधीन नहीं आते। समय-समय पर इस मामले में आयोग से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा उनके अधीन सभी लोक-प्राधिकारी अधिनियम की धारा-2 (एच) के तहत औपचारिक रूप से साफ-साफ अधिसूचित कर दिए जाने चाहिए।

#### 8.12 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और लोक सूचना अधिकारियों को सूचीबद्ध करना

राज्य में विभिन्न लोक-प्राधिकारियों के द्वारा अधिसूचित विभिन्न राज्य सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के पदों और पतों को लेकर आयोग को बहुत सी व्याप्तियाँ भेजी जाती हैं। यद्यपि उनमें से बहुतों ने अपने अधिकारियों के बारे में नवीनतम सूचना अधिसूचित की है परन्तु यह सूचना वेबसाइट पर अपडेट नहीं होती। पूरी सूचना आयोग को भी उपलब्ध नहीं करवाई जाती जबकि, इस संदर्भ में बार-बार अनुरोध किया गया है। अतः प्रत्येक लोक-प्राधिकरण के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों की एक सूची वेबसाइट पर रखी जाए या विज्ञापित की जाए। यह सूची अवसर अनुसार अपडेट की जानी चाहिए।

#### 8.13 वरिष्ठ दर्जे के अधिकारियों को राज्य जन सूचना अधिकारियों के तौर पर अधिसूचित करना

आयोग ने देखा है कि कुछ लोक-प्राधिकारियों के यहाँ कनिष्ठ स्तर के कर्मियों को जन-सूचना अधिकारियों के तौर पर नियुक्त किया जाता है। यह उनकी योग्यता को उसी विभाग में उनके वरिष्ठ कर्मियों से सूचना लेने में गम्भीरता से प्रभावित करता है। इस कारण वे अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में अपनी जिम्मेवारी निभाने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि उचित वरिष्ठता वाले व्यक्तियों को ही जन-सूचना अधिकारियों के तौर पर लगाया जाए ताकि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

#### 8.14 अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुधारना

राज्य सरकार द्वारा बार-बार दिशा-निर्देश जारी करने के उपरान्त भी बहुत से लोक-प्राधिकारियों ने, राज्य जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के बारे में, उनके कार्यालयों के

नोटिस-बोर्डों पर नहीं दर्शाया है। प्रार्थना-पत्र लेने में आना-कानी करने के कारण होने वाली तकलीफ को लेकर अभी भी शिकायतें हैं। आयोग अपने स्तर पर समय-समय पर मध्यस्थता कर रहा है और इस सूचना को दर्शाने के संबंध में निर्देश जारी कर रहा है। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक लोक-प्राधिकरण को इस विषय में प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और अपने कर्मियों को प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार करने, फीस की अदायगी के माध्यम आदि के बारे में साफ-साफ दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। इसके साथ-साथ अपने कार्यालयों के बाहर अन्य सूचना प्रदर्शित करते हुए इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करनी चाहिए।

#### 8.15 लोक-प्राधिकरणों की वार्षिक रिपोर्टों में सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में अध्याय

राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी लोक-प्राधिकरणों के द्वारा-सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों सहित एक वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, उनकी विभिन्न गतिविधियों का विवरण देते हुए, निकाली जाती है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और प्रकाशन से पूर्व सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर एक विशेष अध्याय इस वार्षिक रिपोर्ट के अनिवार्य अंग के रूप में जुड़ा होना चाहिए।

कहान

इस अधिनियम के विकास/उद्धान / नवीनीकरण/युगार, संशोधन अथवा अन्य कानून निर्माण व सामान्य नियम या किसी अन्य बात जो कि सूचना के अधिकार, अधिनियम के अनुरूप हो और उन पर की गई कार्रवाई। सम्बन्धी अगर कोई संसुति प्राप्त हुई हो।

28

## अनुबन्ध-ख

### सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं उनके निपटान का रजिस्टर

लोक प्रधिकरण का नाम	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	अधिनियम में निहित व्यवस्थाओं अनुसार (संशोधित कार्यों सहित) अन्तिम प्रार्थना पत्रों की संख्या	3		4		5		6		7	8
			क	स	क	स	क	स	क	स		
			घारा 8 के अन्तर्गत		घारा 9 के अन्तर्गत		घारा 10 के अन्तर्गत		घारा 11 के अन्तर्गत			
1	सफुफतन ँव डेपारिंग विभाग	8	0	0	0	0	0	0	0	900	0	
2	पुरतत्व ँव संग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	कृषि विभाग	29	4	0	0	0	0	0	0	880	3675	इस अधिनियम को लागू करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया गया है।
4	अभिलेखागार विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	ग्राम्य विभाग, हरियाणा	7	0	0	0	0	0	0	0	350	440	
6	नागरिक उड्डयन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	क	र	क	र	क	र	
7 कर्मचारी	5	0	0	0	0	250	0
8 सल्लगीता विभाग	96	10	0	0	0	4130	5985
9 मुख्य विद्युत निरीक्षक	0	0	0	0	0	0	0
10 विकास विभाग	18	0	0	0	0	819	1135
<p>तोनों की सुविधा और मार्गदर्शन हेतु दस विभाग के लोक सूचना अधिकारी के कमरे के बाहर सूचना बोर्ड लगाया गया है। एक रजिस्टर लगाया गया है जिसमें सभी सम्बन्धित सूचनाएं जैसे कि सूचना हेतु प्रार्थना का क्या शुल्क और प्रार्थियों को दी गई सूचना दर्ज की जाती है।</p>							
11 अर्थ तथा सांख्यिकीय संगठन	8	0	0	0	0	350	650
<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को वायफ्त किया गया है। मुख्यालय व क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को विद्यमान दी गई है कि वह अधिनियम के तहत वांछित आवश्यक सूचनाएं व फार्म नोटिस बोर्ड पर दर्शाएं। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वह हरियाणा सरकार की वेब साइट पर भी समय-समय पर सूचित करें।</p>							
12 चुनाव विभाग	49	0	0	0	0	370	695



13 प्राथमिक शिक्षा	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	360	लगाऊ कर दिया गया है।
14 स्पावरण	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
15 रोबगार विभाग	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2750	2509	
16 आबकारी एवं करगान	71	18	0	3	1	0	0	0	0	0	2300	13020	
17 मत्स्य पालन विभाग	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी व प्रमुख अपील प्राधिकारी-क्षेत्रीय कार्यस्थलों में सभी फर्म भेज दिये गए। विभाग द्वारा मेनफुल तैयार कर लिया गया है।

18 साव्य एवं आर्गुमेंट	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8495	2480	1. कुछ प्रक्रियाओं द्वारा ऐसी सूचना मंगी जाती है जो कि लोक सूचना अधिनियम की प्रती सभी अधिकारियों को इस निदेश के साथ प्रेषित की गई है कि सभी कर्मचारियों और लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए। लोक सूचना अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सेमिनार/कार्यशाला में भाग लिया गया है। आर.टी.आई. सूचना वेब साइट पर डाली गई है। सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। आर. टी. आई. से सम्बन्धित सभी पत्र क्षेत्रीय कार्यस्थलों को भेजे गए हैं। सम्बन्धित प्रक्रियाओं द्वारा मंगी गई सूचना उन्हें प्रदान की जा रही है।
19 दन विभाग, हरियाणा	157	0	0	0	3	3	2	0	0	0	3850	2355	2. कुछ प्रक्रियाओं द्वारा सूचना मंगी जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी उसे प्रदान कर प्रक्रिया को फॉलो करना करने के लिए कहता है तो प्रणी फॉलो करना नहीं करता और ना ही उत्तर देता है। इस प्रकार के बहुत सारे मामले हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
क	स	क	स	क	स	क	स
<p>3 सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा लोक सूचना अधिकारी को कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वह उन कर्मचारियों से निपट सकें जो सूचना मांगने पर उन्हें सूचना की पूर्ति नहीं करते। आरटीआई एक्ट 2005 से सम्बन्धित सभी पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे गए हैं। सम्बन्धित प्रावियों द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें प्रदान की जा रही है।</p>							
20 महाप्रशासक एवं सरकारी न्यायी तथा कोषपत्र पुण्य अभ्यनिधि	1	0	0	0	0	0	0
21 हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	4	0	0	0	0	0	50
22 हरियाणा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0
23 स्वास्थ्य सेवाएं	141	4	0	0	0	0	6580
<p>इस अभियान को निष्ठा से लागू करने के लिए विभाग द्वारा सीएचसी/पीएचसी इंचार्ज को लोक सूचना अधिकारी और मिलित सर्वन को प्रथम प्रतीक अधिकारी मनोनीत किया गया है। इस प्रकार इस प्रणाली को निम्न स्तर तक पहुंचाया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो।</p>							

24 हरियाणा एडुब कंट्रोल सोसाईटी	3	0	0	0	0	0	0	0	150	30
25 उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा	174	0	0	1	2	0	0	0	7270	5717

1. कौनै अधीनस्थ में नियमित लोक सूचना अधिकारी के लिए सस्ता बुमने का प्रवधान है। इस लिये उसके लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी और प्रवती अधिकारी के लिए जरूर मुक्त उचित मानदेय की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें निर्धारित समय में ठीक और पूर्ण सूचना एकत्र करने में काफी व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में उन्हें अपने सशिक्षों का कोषागार भी बनना पड़ता है और इस कार्य को करना नहीं चाहते।
2. प्रथम अपील प्राधिकारी को भी इस एक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए।
3. विभाग अरटीआई एक्ट 2005 को इसकी अंतिम भावना में लागू करने और उन सभी सम्भव तथ्यों जिनसे सूचना आम लोगों तक पहुंच सके, को प्राप्त करने के लिए कठिबद्ध है ताकि इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

1	2	3	4	5	6	7	8
	क	ख	क	ख	क	ख	
26 ग्रह रसी एवं नागरिक सुरक्षा	4	0	0	1	0	0	170 सभी जिलों में सहायक लोक सूचना अधिकारी व लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्हें अधिनियम में निहित प्रावधानों की पालना हेतु सख्त निर्देश दिये गए हैं।
27 उद्यान विभाग	7	3	0	0	0	0	292
28 औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	15	0	0	0	0	0	1409 विभाग की वेब साइट (www.itharyana.org.in) शुरू की गई है, जिसमें विभाग के बारे में सूचना उपलब्ध है। विभाग के कुछ लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में हिप्पा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।
29 संस्थागत वित्त एवं श्रम नियंत्रण	1	0	0	0	0	0	0
30 सिंचाई विभाग	46	0	0	2	2	0	840 प्रत्येक जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है तथा मुख्यालय पर भी अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।
31 श्रम	7	1	0	0	0	0	1930 राज्य में श्रम विभाग के सभी कार्यालयों द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 के अन्तर्गत वांछित सभी पत्र दुराए जा रहे हैं। आरटीआई एक्ट को लागू

करने के बारे में श्रम आयुक्त, सभी कार्यलयाध्यक्षों, लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों को जागरूक करवाया गया है। सभी प्रकार की जल्दरी सूचना और फार्म जो कि एक्ट और नियमों के अन्तर्गत वर्धित है, विभाग के सभी कार्यलयों में सूचना पट्टन पर दर्शाए गये हैं। श्रम विभाग के सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आर.टी.आई. नियम 2005 राज्य की वेब साईट से अध्या कही और से प्राप्त किए जा चुके हैं और लोगों की सुविधा हेतु उसकी प्रति तैयार रखी जाती है।

32 भू अभिलेख	5	0	0	0	1	0	0	0	250	100	
33 विधि तथा विधायी	8	0	0	0	0	0	0	0	2385	0	
34 स्थानीय सेवा परीक्षा	3	0	0	0	0	0	0	0	150	160	
35 पंचायत विभाग	266	4	0	0	0	0	0	0	8993	136334	
36 पुलिस	858	28	0	10	5	0	0	0	38890	38485	पुलिस अपने को शिक्षित करने के लिए हरियाणा पुलिस अकादमी, मद्रास द्वारा नियमित तौर पर सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इस एक्ट को अकादमी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रारम्भिक व सेवा के दौरान दिए जा रहे प्रशिक्षण में शामिल किया गया है।
37 मद्रास तथा लेखन सामग्री विभाग	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	क	ख	क	ख	क	ख	
38 कारागार	14	1	0	0	0	0	55 सूचना का अधिकार अधिनियम मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।
39 अभियोजन	3	0	0	0	0	0	420
40 लोक निर्माण (जन स्वास्थ्य) विभाग	25	0	0	0	0	1	900 इस कार्यलय द्वारा अधिनियम की भावना व अणुय को लागू करने के लिए हर प्रयत्न किया गया है।
41 लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य	9	0	0	0	0	0	390
42 पुनर्वास	27	0	0	1	0	0	615 910
43 उर्जा विकास	4	0	0	0	0	0	0 लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की घोषणा कर दी गई है और सभी प्रकार की औपचारिकताएं जो कि अधिनियम के अंतर्गत वांछित थी पूरी कर ली गई है।
44 राज्य प्रशिक्षण संस्थान	0	0	0	0	0	0	0
45 ग्रामिण विकास विभाग	23	0	4	0	4	0	400 200
46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1	0	0	0	0	0	50 0
47 अन्य बजट	0	0	0	0	0	0	0 0
48 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	24	0	0	0	0	0	1000 2530

1. यदि कोई अपील करने वाला अपील की सुनवाई की तिथि को अपील प्रधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं होता है तो अपील विभाग की वेब साइट [www.haryanasports.gov.in](http://www.haryanasports.gov.in) पर डाले जा चुके हैं।
2. क्वा कोई प्रोफेशनल या कानून की डिग्री धारक वर्कर्स अपने मुदविकल की पैरवी हेतु अपील प्रधिकारी के सम्मुख पेय हो सकता है, जबकि अपील अधिकारी कानून की डिग्री प्राप्त नहीं होता? यदि निर्धारित फीस 50/- रु. प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित एस.पी.आई.ओ./एस.पी.आई.ओ. के पास जमा नहीं करवाई जाती और सूचना देने का निर्धारित 30 दिन का समय समाप्त हो जाता है और ऐसी अवस्था में प्रार्थी सम्बन्धित एस.पी.आई.ओ. के विरुद्ध अपील करता है या शिकायत करता है तो प्रथम अपील प्रधिकारी द्वारा अपील प्रधिकारी द्वारा क्वा कार्रवाई की जानी होती है।
2. एक्ट और नियमों की प्रती राज्य लोक सूचना अधिकारियों और राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है।
3. प्रथम अपील प्रधिकारी, एस.पी.आई.ओ.ए./एस.पी.आई.ओ. की नियुक्ति की अभिलेखना सभी सम्बन्धित को भेजी जा चुकी है।
4. अधिनस्थ अधिकारियों को एक्ट/नियमों के प्रावधानों की सख्ती से पालना करने हेतु हिदायतें दे दी गई हैं।
5. सभी सम्बन्धित को हिदायतें दे दी गई हैं कि विभागीय सभाओं में एक्ट के प्रावधानों की पालना की जाए।
- आर.टी.आई.एक्ट से सम्बन्धित सभी सूचना और प्रश्न, जो कि समय-समय पर जारी किए गए हैं और न्यूज आइटमज दर्शाए जाते हैं।

(1) क्वा प्रथम अपील प्रधिकारी अपील सुनने के लिए बाध्य है।

1	2	3	4	5	6	7	8
	क	ख	क	ख	क	ख	
50 राज्य चौकसी ब्यूरो	12	0	0	0	0	0	50
51 स्कूल शिक्षा, हरियाणा	206	0	0	0	3	12	13486
52 अपूर्ति एवं निपटान	2	0	0	0	1	0	0
							पूरी तरह से लागू किया जा रहा है।
53 तकनीकी शिक्षा	79	0	0	3	3	0	3660
54 नगर एवं ग्राम आयोजना	219	0	4	0	10	2	5760
55 परिवहन आयुक्त, हरियाणा	58	4	2	1	0	0	2240
56 पर्यटन विभाग	6	0	0	0	0	0	0
57 अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग	3	0	0	0	0	0	50
कल्याण विभाग							
58 महिला एवं बाल विकास	46	5	0	0	0	0	2250
							4197

- (2) क्या अपील अधिकारी इस बिना पर की एस.पी.आई.ओ. के पास मौस जमा नहीं करवाई गई है, अपील अस्वीकार कर सकता है ?
- (3) क्या प्रथम अपील अधिकारी सूचना देने के लिए बाध्य है ?
- (4) यदि अपील की सुनवाई के दिन प्रार्थी हजरि नहीं होता तो क्या ऐसी अवस्था में प्रथम अपील अधिकारी एक तरफा निर्णय ले सकता है ?



बोर्ड एवं कारपोरेशन

1 कृषि विपणन बोर्ड	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1160	3845
2 कृषि उद्योग निगम सीमित	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	210
3 बी.पी. सिंह महिला विश्व विद्यालय, खानपुर कला	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2980
4 पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 अप्रुवैदिक एवं युनानी चिकित्सा प्रणाली बोर्ड	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
6 सी.आर.स्टेट कलेज आफ ईवी मर्याद	32	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1600	1240
7 चौ.वरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	45	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1970	3102
8 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 महिला आयोग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 सहकारी आवास प्रसंग	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	20
11 सहकारी ग्रैजुअट बैंक सीमित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंग (हिफेड)	17	1	0	0	1	0	0	0	0	0	850	1330
13 सहकारी विकास प्रसंग सीमित	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
14 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
15 चौ.देवी सात विजयविद्यालय, सिरसा	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	950	1710
16 होमोपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		क	स	क	स	क	स
17	दुग्ध विकास सहकारी प्रसंग सीमित	9	0	2	0	0	0
						200	0
							1. सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को एक्ट सूचना के अधिकार के कोर्स हेतु के प्रशिक्षणों और उद्देश्यों के बारे में अधिकारियों को भेजने के लिए जागरूक कर दिया गया। प्रयत्न किए जा रहे हैं।
							2. उन मामलों में जहां कार्यालय क्षीमी गति से काम कर रहा था या अन्य विचार रख रहा था उन्हें सूचना देने हेतु आदेश जारी किए गए।
18	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	54	0	0	2	1	0
						1860	3132
19	विद्युत विनियामक आयोग	13	0	0	0	0	0
						280	338
							सभी सम्बन्धित दस्तावेजों व एच.ई. आर. सी द्वारा पॉलि आदेश के बारे में सूचना वेब साइट पर पहले ही उपलब्ध है। फिर भी लोगों द्वारा मांगी गई सूचना आर.टी.आई. एक्ट में निष्पक्ष समय के अन्दर दे दी गई है।
20	इंफोटेक्स विकास निगम सीमित (सिस्ट्रॉन)	4	0	0	0	0	0
						150	0
							अधिकारियों को लागू करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।
21	उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार प्रसंग (कानूनी)	18	0	0	1	0	0
						310	280
22	वित्तीय निगम	83	1	0	1	4	0
						2120	17475
							आर.टी.आई. एक्ट की धारा 4(1)(बी)(i) से (17) के अधीन दस्तावेज प्रकाशित करने बारे पहले ही कर्मचारी की जा चुकी है। यह सूचना निगम की वेब साइट पर उपलब्ध है।
23	सहकारी चीनी मिल प्रसंग	2	0	0	0	0	0
						0	445

24 वन विकास नियम	3	0	0	0	0	2	0	0	0	150	0
25 गुरु जम्पेवर विप्रविद्यालय, हिसार	21	1	0	0	0	1	0	0	0	1060	440
व्याख्यान दिए गए और मार्ग दर्शन किया गया।											

26 हरियाणा विद्युत प्रसारण नियम सीमित	50	5	0	0	0	0	0	0	0	2150	1921
समय सीमा के अन्दर सूचना प्रदान करने के लिए सभी प्रवृत्त किए जाते हैं। सम्बन्धित कर्माचारियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकट के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने के प्रयत्न किए गए।											

1. आर टी आई मायनों के प्रबन्धन के लिए अलग से अनुभाग होना चाहिए क्योंकि दूसरे कार्यालयों की तुलना में यह संगठन काफी बड़ा है।

2. ग्रामियों पर यह प्रती होती चालिये कि वह केवल कही विशेष सूचना मागे वो कि वह अपने अथवा आम जनता के लाभ हेतु प्रयोग में ला सकें।

3. मांगी गई सूचना का परिमाण भी एकट में निश्चित होना चाहिये क्योंकि प्रणी भारी भारकम सूचना मांगते हैं (रंगी तात गुप्ता की तरह) ऐसा करने से अधिकारियों/कर्मचारियों का श्रम और समय उसके परिणाम की तुलना से अधिक लगता है।

4. शीघ्र सूचना देने हेतु कर्माचार्य/विभाग अनुसार एस पी आई ओव/एस पी आई ओव की नियुक्ति होनी चाहिए क्योंकि वह अपने कार्यालयों के प्रति जिम्मेवार होंगे।

1	2	3	4	5	6	7	8
		क	स	क	स	क	स
27	हथकरघा एवं हस्तकला निगम समिति	0	0	0	0	0	0
28	हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी	19	0	0	0	800	730
29	हरियाणा लोक सेवा आयोग	12	0	0	0	570	1920
30	स्पॉटन निगम	3	0	0	0	100	50
31	हरियाणा कर्मचारी कयन आयोग	92	39	0	0	3315	4660
32	ग्रन्थालय निगम	6	0	0	0	200	295
							वेब साइट पर विस्तृत प्रचार और हिमा में प्रकाशित।
33	हिंद कृषि निवारण संघ	0	0	0	0	0	0
34	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	551	0	16	0	30900	10091
35	हरियाणा साहित्य अकादमी	0	0	0	0	0	0
36	हरियाणा महिला विकास निगम	0	0	0	0	0	0
37	आवास बोर्ड	42	0	17	3	890	2225
38	भारतीय रैडकस समिति	3	0	0	0	10	140
39	औद्योगिक विकास निगम समिति	147	0	1	0	7350	12685
40	आई.टी. कलेज, पानीपत	1	0	1	1	0	0
41	कुस्सेत्र विम्विचालय, कुस्सेत्र	38	2	0	0	360	2091
							वृहद प्रचार हेतु आर.टी.आई. नियमों को प्रेषित किया गया।
42	कुस्सेत्र विकास बोर्ड	4	0	0	0	200	200
							कुस्सेत्र विकास बोर्ड से सम्बन्धित सूचना को सरकारी वेबसाइट पर डाटा गया है।
43	भूमि सृष्टार एवं विकास निगम	0	0	0	0	0	0
44	भूमि उपयोग प्रणाली	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	
		क	स	क	स	क	स	
52	पंजाबी साहित्य एकादमी	2	0	0	0	0	50	0
53	ग्रामीण विकास निधि प्रशस्तन बोर्ड	0	0	0	0	0	0	0
54	अनुसूचित जाति धित्त एवं विकास निगम	1	0	0	0	0	50	0
55	बीज प्रणालीकरण संस्था	0	0	0	0	0	0	0
56	बीज विकास निगम सीमित	2	0	0	0	0	60	0
57	श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड	0	0	0	0	0	0	0
58	राज्य उपभोक्ता संरक्षण प्रतियोग आयोग	16	0	0	0	0	400	200
59	राज्य सूचना आयोग, हरियाणा	2	0	0	0	0	100	166
60	राज्य चुनाव आयोग	3	0	0	1	0	150	140
61	स्वर्ण ज्योती ग्रहरी रोजगार योजना एवं ग्रहरी विकास	0	0	0	0	0	0	0
62	उर्दू अकादमी	0	0	0	0	0	0	0
63	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	51	0	0	0	4	1490	1032
64	श्रम एवं वाणी विकास कार्यक्रम समिति	0	0	0	0	0	0	0
जोड़	1584	54	20	27	23	0	69475	82460
प्रशासकीय सचिव								
वित्तीय एवं प्रधान सचिव								
1	पुनर्वास विभाग	1	0	0	0	0	50	380
2	इंक्वेटोरिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2	0	0	0	0	50	0
3	अन्यकारी एवं कारागार विभाग	71	18	0	3	0	2300	13020
4	वित्त विभाग	7	0	0	0	0	100	0

अधिनियम को लागू करने के लिए  
भारतक प्रयास किए जा रहे हैं।  
इस अधिनियम के अधीन सूचना मांगने  
वाले को सूचना प्रदान करने व  
अधिक परतर्किता लाने के लिए प्रयत्न  
किए जा रहे हैं।

अधिनियम को लागू करने के लिए  
भारतक प्रयास किए जा रहे हैं।  
इस अधिनियम के अधीन सूचना मांगने  
वाले को सूचना प्रदान करने व  
अधिक प्रदर्शित करने के लिए प्रयत्न  
किए जा रहे हैं।

5 वन विभाग, हरियाणा	6	0	0	1	0	0	0	0	0	360	240	1 सूचना बोर्ड लगाए गए। 2 लोक सूचना अधिकारी ने हिम्मत द्वारा अशोषित सेमीनार में भाग लिया।
6 स्वास्थ्य विभाग	12	0	0	0	0	0	0	0	0	520	60	इस अधिनियम को निम्न से लागू करने के लिए विभाग द्वारा सी.एच.सी./पी.एच.सी. इंचार्ज को लोक सूचना अधिकारी और सिल्विल सर्विस को प्रथम प्रतीत अधिकारी मनोनीत किया गया है। इस प्रकार इस प्रणाली को निम्न स्तर तक पहुंचाया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो।
7 सिविल विभाग	3	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	
8 ग्राम एवं रोडगार विभाग	60	0	0	0	0	0	0	0	0	2750	2509	
9 पुनर्वास विभाग	8	0	0	0	0	0	0	0	0	400	290	आर.टी.आई. एक्ट को पूरी तरह से अपनाया गया।
10 राकस एवं आपदा प्रबन्धन	8	0	0	0	0	0	0	0	0	450	290	आर.टी.आई. एक्ट को पूरी तरह से अपनाया गया।
11 प्रशिक्षण विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
बोड	178	18	0	4	0	0	0	0	0	7130	16789	
आपुस्त एवं सचिव												
1 नगर विकास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कार्यालय द्वारा आर.टी.आई. अधिनियम और नियमों के अंतर्गत सभी कदम उठाए गए हैं।
बोड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	क	ख	क	ख	क	ख	
<b>सपडत आयुस्त</b>							
1 अम्बाला	7	0	0	0	0	0	0
2 गुडगांव	0	0	0	0	0	0	0
3 हिसार	3	2	0	0	0	0	0
							एक्ट के अधीन प्रबंधना पत्रों को तुरंत निपटया जा रहा है।
4 रोहताक	5	0	0	5	0	0	170
चोड़	15	2	0	5	0	0	170
<b>उपायुक्त</b>							
1 भिवानी	18	0	0	0	0	0	361
2 फतेहगढ़	23	0	0	0	0	0	440
							निते के अधिकारियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए इस जिते में हिया द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें मसिक सभाओं में भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो आम जनता को एक्ट के बारे में जागरूक करने बारे सभी सम्भव कदम उठाए।
3 गुडगांव	49	0	0	0	1	0	750
							सूचना प्रदान करने के लिए 30 दिन का समय कम है, क्योंकि प्रायः जो सूचना मांगी जाती है उसे क्षेत्रीय अमले से झकट्टा किया जाता है, जितमें देरी लगती है। इस लिए यह समय कम से कम 45 दिन होना चाहिये। लोग प्रायः ऐसी सूचना मांगते हैं जो कि कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होती, जिससे लोक सूचना अधिकारी को परेशानी होती है।



4	हिसार	32	0	0	0	0	0	0	0	1750	5210
5	जौद	39	0	0	0	0	0	0	0	450	210
6	कैथल	13	0	0	0	0	0	0	0	650	250
7	नारनौल	15	0	0	0	0	0	0	0	750	0
8	रिवाड़ी	19	0	0	0	0	0	0	0	860	0
9	रोहतक	24	0	0	0	0	0	0	0	2925	7360

अमल को लागूक बनाया गया है कि वह सूचना प्राप्त करने आए व्यक्तियों को एक्ट की उपयोगिता और सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताएं।

10	सेनीमल	12	0	0	0	0	0	0	0	405	665
----	--------	----	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

एक्ट को पूर्णतः लागू करने के बारे में समय-समय पर लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों की सभाएं की जा रही हैं। सभी गई सूचना देने के बारे में यस्तिक सभाओं में भी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है।

जोड़	244	0	0	0	0	1	0	0	0	10590	15246
कुल जोड़	4985	156	30	63	61	16	6	209347	416724		

मुख्य लोक प्राधिकरणों की सूची जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विभागाध्यक्ष

- 1 महाधिवक्ता, हरियाणा
- 2 जनगणना कार्य
- 3 कर्मचारी राज्य बीमा
- 4 शिकायत निवारण
- 5 सत्कार संगठन
- 6 उद्योग एवं वाणिज्य
- 7 लाटरीज
- 8 खान एवं भू विज्ञान
- 9 एन.आई.सी. कम्प्यूटर केन्द्र
- 10 पंचायती राज
- 11 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य
- 12 लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)
- 13 राज्य परिवहन नियन्त्रक
- 14 स्टेट टी.बी. एसोसीयेशन, हरियाणा
- 15 स्टेट टी.बी. कन्ट्रोल एवं स्टेट लेपरोसी सोसाइटी
- 16 खजाना तथा लेखा
- 17 नगर विकास
- 18 शहरी सम्पदा

बोर्ड एवं कारपोरेशनज

- 1 भारतीय ग्रामीण महिला संघ
- 2 ब्लाइन्डनेस कन्ट्रोल सोसायटी
- 3 हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो

- 4 जांच आयोग
- 5 कमेटी फार फ्री स्ट्रक्चरिंग आफ मेडीकल एण्ड टेक्नीकल ऐजुकेशन
- 6 बाल कल्याण परिषद्
- 7 सहकारी, कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंक सीमित
- 8 प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्
- 9 गुरुद्वारा चुनाव आयोग
- 10 औद्योगिक सहकारी प्रसंघ
- 11 खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड
- 12 मेवात विकास अभिकरण
- 13 लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम सीमित
- 14 फार्मसी काउंसिल
- 15 राज्य सैनिक बोर्ड
- 16 उर्जा विकास अभिकरण
- 17 सड़क व सेतु विकास निगम सीमित
- 18 साकेत परिषद्
- 19 संस्कृत अकादमी
- 20 राज्य द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- 21 शिवालिक विकास बोर्ड
- 22 सल्म कलीरैस बोर्ड
- 23 लघु उद्योग एवं निर्यात निगम सीमित
- 24 समाज कल्याण बोर्ड
- 25 स्टेट काउंसलिंग बोर्ड
- 26 स्वतंत्रा सैनिक सम्मान समिति
- 27 तीसरा वित्त आयोग

## प्रशासकीय सचिव

### वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव

- 1 प्रशासकीय सुधार विभाग
- 2 कृषि विभाग
- 3 वास्तुकला विभाग
- 4 चकबंदी विभाग
- 5 समन्वयन विभाग
- 6 विकास एवं पंचायत विभाग
- 7 शिक्षा एवं भाषा विभाग
- 8 मत्स्य पालन विभाग
- 9 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
- 10 सामान्य प्रशासन विभाग
- 11 गुरुद्वारा चुनाव
- 12 हरियाणा भवन, नई दिल्ली
- 13 गृह विभाग
- 14 उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
- 15 औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग
- 16 इन्वैस्टमेंट प्रमोशन सेन्टर, नई दिल्ली
- 17 कारागार
- 18 खान एवं भू-विज्ञान विभाग
- 19 कार्मिक विभाग
- 20 योजना विभाग
- 21 उर्जा विभाग
- 22 लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग
- 23 उर्जा विकास विभाग

- 24 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- 25 तकनीकी शिक्षा
- 26 नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी सम्पदा विभाग
- 27 परिवहन तथा नागरिक उड्डयन विभाग
- 28 चौकसी विभाग

#### आयुक्त एवं सचिव

- 1 पशुपालन तथा डेयरी विभाग
- 2 पुरातत्व एवं संग्राहलय विभाग
- 3 अभिलेखगार विभाग
- 4 सरकारी सम्पति का सदुपयोग/निपटान प्रकोष्ठ
- 5 सहकारिता विभाग
- 6 पर्यावरण विभाग
- 7 वित्त एवं साख नियन्त्रण विभाग
- 8 हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो
- 9 आवासीय विभाग एवं प्रबन्धक निदेशक हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन
- 10 मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग
- 11 लोक सर्मर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग
- 12 लोक निर्माण (जन स्वास्थ्य) विभाग
- 13 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- 14 खेल एवं युवा कार्य विभाग
- 15 नगर विकास विभाग
- 16 अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- 17 महिला एवं बाल विकास विभाग

**अनुबन्ध - घ**  
**हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान**  
 78, हिप्पा परिसर, सैक्टर 18, गुडगांव  
 सूचना के अधिकार अधिनियम पर हुए  
 कपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों/गोष्ठियों का व्योरा

क्रम सं	कोर्स की तिथि	भाग लेने वालों की संख्या	स्थल
1.	मई 8-12, 2006	23	हिप्पा, गुडगांव
2.	जून 14-16, 2006	18	हिप्पा, गुडगांव
3.	22.6.2006	32	डी.टी.सी, पंचकूला
4.	जुलाई 24-27, 2006	25	हिप्पा, गुडगांव
5.	21.08.2006	37	डी.टी.सी, पंचकूला
6.	04.09.2006	55	नारनौल
7.	05.09.2006	60	रिवाड़ी
8.	06.09.2006	50	फरीदाबाद
9.	07.09.2006	47	हिप्पा, गुडगांव
10.	11.09.2006	42	सिरसा
11.	13.09.2006	121	हिसार
12.	14.09.2006	45	डी.टी.सी, पंचकूला
13.	14.09.2006	79	फतेहाबाद
14.	18.09.2006	96	जींद
15.	19.09.2006	80	सोनीपत
16.	19.09.2006	78	पंचकूला
17.	20.09.2006	74	भिवानी
18.	25.09.2006	60	झज्जर
19.	27.09.2006	56	करनाल
20.	28.09.2006	76	पानीपत
21.	29.09.2006	85	रोहतक
22.	04.10.2006	139	अम्बाला
23.	11.10.2006	125	यमुनानगर
24.	18.10.2006	118	कुरुक्षेत्र
25.	27.10.2006	138	कैथल
<b>जोड़</b>		<b>1758</b>	

### अनुबन्ध - ४

क्षेत्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु समीक्षा 1.11.2005 से 31.10.2006 तक की अवधि में जिला स्तर पर ली गई समारं।

क्रम	दिनांक	जिले का नाम	टिप्पणी
संख्या			
1.	17.2.2006	पानीपत	ये समारं मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में हुई, जहां अधिनियम के कार्य की समीक्षा की गई और सभा में भाग लेने वालों के साथ आपसी विचार-विमर्श किया गया।
2.	16.3.2006	सोनीपत	
3.	20.03.2006	रिवाड़ी	
4.	24.04.2006	जींद	
5.	25.04.2006	झज्जर	
6.	19.05.2006	हिसार	
7.	19.07.2006	रोहतक	
8.	25.08.2006	करनाल	
9.	15.09.2006	सिरसा	
10.	19.09.2006	पंचकूला	यह कार्यशालाएं राज्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में हुई, जिन्होंने डिवीजनल प्रशिक्षण केन्द्र, पंचकूला में गेस्ट फाकल्टि के तौर पर प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया और आपस के विचार-विमर्श सत्र में भाग लिया।
11.	04.10.2006	अम्बाला	

**अनुबन्ध - च**

दिनांक 1.11.2005 से 31.10.2006 तक के समय के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में सम्पन्न हुई सभाओं/कार्यशालाओं का ब्योरा।

क्रम संख्या	तिथि	स्थल	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	22.06.2006	डिवीजनल प्रशिक्षण केन्द्र, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	इस कार्यशाला का आयोजन डिवीजनल प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया गया, जिसमें राज्य सूचना आयुक्त ने प्रशिक्षणार्थियों को गेस्ट फाकल्टि के तौर पर सम्बोधित किया और आपस के विचार विमर्श सत्र में भाग लिया।
2.	17.07.2006	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़।	'प्रिया' नामक संगठन ने हरियाणा राज्य के जिला स्तर के अपने कार्यकर्ताओं के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसे मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सम्बोधित किया गया था।
3.	20.07.2006	आल इण्डिया रेडियो, रोहतक।	आल इण्डिया रेडियो रोहतक द्वारा एक सीधा दूरभाष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में आम जनता द्वारा दूरभाष के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।
4.	21.08.2006	डिवीजनल प्रशिक्षण केन्द्र, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	इस कार्यशाला का आयोजन डिवीजनल प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया गया, जिसमें राज्य सूचना आयुक्त ने प्रशिक्षणार्थियों को गेस्ट फाकल्टि के तौर पर सम्बोधित किया और आपस के विचार विमर्श सत्र में भाग लिया।
5.	14.09.2006	-सम-	-सम-
6.	19.09.2006	-सम-	-सम-



1	2	3	4
7.	19.10.2006	चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्व- विद्यालय, हिसार	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विभिन्न पहलूओं और इसको प्रभावी बनाने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों और उन अधिकारियों ने भाग लिया जिन्हें राज्य लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी नामजद किया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त ने इस कार्यशाला में मुख्य व्याख्यान दिया और भाग लेने वालों के साथ आपसी विचार विमर्श किया।

43076—SIC—H.G.P., Chd.